

528

529

विजयस गाल्ट के अनर्गल डाक शुल्क के
सदय भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण
द्वारा अनुमत क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़
प्रमाण सं 38 सि से धिलाई दिनांक
30-05-2001



पञ्जीयन क्रमांक
पञ्जीयन क्रमांक 109/2012/2013

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208-अ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 मई 2014— वैशाख 23, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
संचालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-21/18/2014. — हाथ से पैसा देने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उसका पुनर्गठन अधिसूचना, 2013 (2013 का सं 25) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुए, राज्य सरकार (एतद्वारा) 1 दिसम्बर, 2014 को उक्त धारा के प्रयोजन हेतु विगत निर्देश के साथ में अधिसूचित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एम. एम. मिश्र, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 13 मई 2014

क्रमांक एफ 5-21/18/2014 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) के अनुसंगण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-21/18/2014 दिनांक 13-05-2014 का ओजी अनुवाद राज्यापाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिश्र, उप-सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
//अधिसूचना//

क्रमांक एफ-19-45/2014/25-2/

नया रायपुर, दिनांक - 2 AUG 2014

राज्य शासन, एतद् द्वारा हाथ से मैला उटाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 32(1) के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर को उक्त अधिनियम की धारा 31(1) के तहत कार्यों के निष्पादन एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत कर विहित प्राधिकारी मनोनीत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ० अनिल चौधरी)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

पृ. क्रमांक एफ-19-45/2014/25-2/

नया रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- 2- विशेष सहायक, मान. मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- 3- सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई-दिल्ली।
- 4- माननीय अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के निज सचिव।
- 5- मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- 6- अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- 7- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- 8- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- 9- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- 10- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर छ.ग.।
- 11- समस्त संभागीय आयुक्त, छ.ग.
- 12- संचालक, नगरीय विकास विभाग, रायपुर।
- 13- प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, रायपुर।
- 14- संचालक, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (SUDA) आर.डी.ए.बिल्डिंग, शास्त्री चौक, रायपुर।
- 15- संचालक, छ.ग.राज्य जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (WSSO) जी-3 अनुपम नगर, रायपुर।
- 16- समस्त कलेक्टर छ.ग.
- 17- समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास छ.ग.
- 18- श्री संजय गौर, उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।
- 19- सचिव, छ.ग.राज्य, अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, रायपुर।
- 20- संयुक्त संचालक, एवं राज्य नोडल अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर छ.ग.।
- 21- आदेश प्रति।


उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग


छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

शुद्धिपत्र

नया रायपुर, दिनांक 30 DEC 2015

क्रमांक/एफ-19-45/25-3/2012 . छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 16, दिनांक 18 अप्रैल, 2014 पृष्ठ क्रमांक 598 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ हाथ से मैला होने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वासि नियम, 2014 से संबंधित अधिसूचना क्रमांक/एफ-19-45/25-3/2012, दिनांक 4 मार्च, 2014 के हिन्दी पाठ में, नियम 2 के खण्ड (ड) की तृतीय पक्ति में "समिति की संरचना और कृत्य राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की जायेगी" को "समिति की संरचना और कृत्य परिशिष्ट-दो के अनुसार राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की जायेगी" पढ़ा जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(डी.डी.कुजाम)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथाअनु.जा.वि.वि.

पृ0क्रमांक/एफ-19-45/25-3/2012

नया रायपुर, दिनांक 30 DEC 2015


प्रतिलिपि :-

1. मान.मुख्य मंत्री के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री,छत्तीसगढ़ शासन,आदिम जाति तथा अनुजाति विकास विभाग, नया रायपुर।
3. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नईदिल्ली।
4. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. माननीय अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के निज सचिव।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास/गृह विभाग/नगरीय विकास/लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
7. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर।
9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर।
10. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
11. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।

/ / 2 / /

// 2 //

12. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
13. आयुक्त, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर।
14. समस्त सभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
15. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
16. प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य, अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, बी-9, सेक्टर-5, देवेन्द्रनगर, रायपुर।
17. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर।
18. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
19. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर।
20. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर।
21. उप निदेशक, शासकीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पीछे, नया रायपुर की ओर साधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 200 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
22. संबंधित
23. आर्डर बुक।


 संयुक्त सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आ.जा.तथाअनु.जा.वि.वि.

632

192

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 20 JUL 2017

क्रमांक/एफ-19-45/2012/25-3, : : हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (कं. 25 सन् 2013) की धारा 36 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों के परिशिष्ट-दो में,-

शीर्षक "1. राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति की संरचना" के अंतर्गत सरल क्रमांक 1, 2 एवं 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
1.	भारसाधक, सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़।	अध्यक्ष
2.	विभागाध्यक्ष, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़।	सदस्य सचिव
4.	भारसाधक सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़।	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(Handwritten Signature)
20/7/17

(डी.डी. कुंजाम)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

// 2 //

//2//

पृ0कमांक/एफ-19-45/2012/25-3,


नया रायपुर, दिनांक 20 JUL 2017

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़। ~~आजातक/तुम्हारे/वेबसाइट~~
3. विशेष सहायक, मान.संसदीय सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. समस्त माननीय सदस्य, राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति, छत्तीसगढ़। ~~संचालक, आदिम एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग/रेलवे~~
5. माननीय अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति आयोग के निज सचिव, रायपुर ~~आजातक/तुम्हारे/वेबसाइट~~
6. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
कृपया विभागीय वेबपेज में अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर।
10. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
11. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, बैरन बाजार, रायपुर
12. नोडल अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर।
13. राज्य नोडल अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर।
14. प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम मर्यादित, नया रायपुर।
15. सचिव, छ.ग.राज्य अनुसूचित जाति आयोग रायपुर।
16. आदेश प्रति।

~~संचालक, आदिम एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग~~

1/10


संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

GOVT. OF CHHATTISGARH
TRIBAL AND SCHEDULED CASTE DEVELOPMENT DEPARTMENT
MANTRALAYA

NOTIFICATION

New Raipur, Dated; 2.0...JUL...2017

No.F-19-45/2012/25-3:: In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 36 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (No.25 of 2013), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2014, namely:-


AMENDMENT

In Annexure-II of the said rules,-

Under Heading "1. Composition of the State Level Survey Committee", for serial number 1, 2 and 4 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"1.	Secretary in-charge of Tribal and Scheduled Castes Development Department, Chhattisgarh.	Chairman
2.	Head of the Department, Tribal and Scheduled Castes Development, Chhattisgarh.	Member Secretary
4.	Secretary in-charge of Urban Administration and Development Department, Chhattisgarh.	member"

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,


(D.D.Kunjam)
Joint Secretary
Govt. of Chhattisgarh

11211

End. No./F-17-106/2009/25-2,

New Raipur dt.2.0..JUL 2017

Copy to :

1. ACS, to Hon'ble Chief Minister, Govt. of Chhattisgarh, Raipur.
2. Personal Assistant to All Hon'ble Ministers, Govt. of Chhattisgarh, New Raipur.
3. Special Assistant to Hon'ble Parliamentary Secretary Department of Tribal and Scheduled Castes Development, Govt. of Chhattisgarh, New Raipur.
4. All Hon'ble Members, State Level Survey Committee Chhattisgarh.
5. Personal Assistant to Hon'ble Chairman, State SC Commission, Raipur.
6. Secretary, Govt. of India, Ministry Social Justice and Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi.
7. Chief Secretary / Additional Chief Secretary /Principal Secretary/Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Mantralaya, New Raipur.
8. Commissioner, Tribal and Scheduled Castes Development, New Raipur. Please upload in departmental webpage.
9. Commissioner, Municipal Corporation, Raipur
10. All CEO Jila Panchayat, Chhattisgarh.
11. Convenor, State Level Bankers Committee, Administrative Office, Bairan Bazar, Raipur
12. Nodal Officer O/o Commissioner, Tribal and Scheduled Castes Development, New Raipur.
13. Nodal Officer O/o Urban Administration and Development Department, New Raipur.
14. Managing Director, C.G.State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam, New Raipur.
15. Secretary, Chhattisgarh State Scheduled Castes Commission, Raipur..
16. Order Book.

(Signature)
(D.D.Kunjam)
Joint Secretary
Govt. of Chhattisgarh